उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल

2019 की आपराधिक अपील संख्या 126

सुशील (पुरुष, उम्र लगभग 37 वर्ष)
ज्ञान सिंह पुत्र, निवासी ग्राम मिरगपुर
पी.एस. देवबंद, जिला सहारनपुर (उ.प्र.) .....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य. .....प्रतिवादी

श्री कुमारी। पाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की वकील सुश्री चरणजीत कौर की सहायता की।
श्री सुभाष त्यागी भारद्वाज, विद्वान उप. सुश्री शिवांगी गंगवार के साथ महाधिवक्ता ने राज्य के लिए ब्रीफ होल्डर सीखा।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

यह अपील एस.एस.टी. में विशेष न्यायाधीश/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.02.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2009 की संख्या 11, राज्य बनाम प्रवीण बाल्मीकि और अन्य, जिसके तहत उक्त अदालत ने अपीलकर्ता सुशील को यूपी की धारा 2/3 के तहत दोषी ठहराया है। गैंगस्टर और असामाजिक (रोकथाम) गतिविधियां अधिनियम, 1986 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) में उसे 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया। 10,000/-, जिसका भुगतान न करने पर अभियुक्त/अपीलार्थी को अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि मुखबिर प्रभारी निरीक्षक श्री बी.एस. चौहान ने इस कथन के साथ एक रिपोर्ट दी कि 24.07.2008 को जब वह कांस्टेबल संदीप कुमार और कांस्टेबल रवि पंत गश्त ड्यूटी पर थे, उन्हें ग्रामीणों ने सूचित किया कि प्रवीण बाल्मीकि का गिरोह सक्रिय है, जो इसका नेता है, जो अपने सहयोगियों सुशील (वर्तमान आरोपी/अपीलकर्ता), नरेंद्र और पप्पू की मदद से चलता है। यह गिरोह डकैती, हत्या, जबरन वसूली आदि जैसे अपराधों को अंजाम देने में शामिल रहा है और उनके कृत्य के कारण समाज में आतंक है और इसलिए, किसी ने भी गिरोह के सदस्य के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की या कोई सबूत नहीं दिया। . वर्तमान अभियुक्त सुशील के विरूद्ध गैंग

चार्ट (प्र. A1) में प्रकरण अपराध क्रमांक. 125 सन् 2008 की धारा 302/307, 506, 34 एवं 120बी आईपीसी के तहत मुकदमा अपराध क्रमांक. 107 की 2005 धारा 147, 148, 149, 302, 34 आईपीसी एवं मुकदमा अपराध क्रमांक. प्रवीन बाल्मीकि के विरुद्ध थाना कोतवाली गंगनहर पर धारा 302 व 120बी आईपीसी के तहत 54/2000 पंजीकृत है, मुकदमा अपराध संख्या. 125 सन् 2008 की धारा 302/307, 506, 34 व 120बी आईपीसी के तहत मुकदमा अपराध क्रमांक. 291/2006 धारा 392, 411, 120बी आईपीसी के तहत मुकदमा अपराध क्रमांक. 77/2006 धारा 302 आईपीसी एवं मुकदमा अपराध क्रमांक. 372/2006 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत नरेश के विरुद्ध मुकदमा अपराध क्रमांक. 125 सन् 2008 की धारा 302/307, 506, 34 व 120बी आईपीसी के तहत मुकदमा अपराध क्रमांक. 298 सन् 2007 की धारा 308 आईपीसी के तहत एवं आरोपी पप्पू के विरूद्ध मुकदमा अपराध क्र. 2006 का 125 धारा 302/307, 506, 34 और 120बी आईपीसी के तहत और 2005 का मुकदमा अपराध संख्या 107 धारा 147, 148, 149, 302, 34 आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन कोतवाली गंगनहर, रूड़की, लक्सर और मंगलौर में दर्ज हैं।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर (उदा. ए4) दर्ज की गई और मामला अपराध क्रमांक. 211 सन् 2008 की धारा 2/3 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गैंग चार्ट की स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं विवेचना पूर्ण होने पर विवेचनाधिकारी द्वारा वर्तमान अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 2/3 के तहत आरोप तय किया, जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

4. अभियुक्त/अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों की जांच की, अर्थात् पी.डब्ल्यू.1 इंस्पेक्टर बहादुर सिंह चौहान, (शिकायतकर्ता) पी.डब्ल्यू.2 सचिन (दूसरे मामले में मुखबिर) पी.डब्ल्यू.3 उप-निरीक्षक दिनेश कुमार (जांच अधिकारी) केस अपराध संख्या 231/2006), पी.डब्लू. 4 शहजाद (दूसरे मामले का शिकायतकर्ता) पी.डब्ल्यू.5 इंस्पेक्टर विजय चंद्र सिंह गुसाईं (मामला अपराध संख्या 211 सन् 2008 के जांच अधिकारी), पी.डब्ल्यू.6 स्वयंवर सिंह रौतेला, पी.डब्ल्यू.6। 7 एस.आई. भूपेन्द्र मेहता, पी.डब्ल्यू. 8 विपक्ष. संदीप कुमार, पी.डब्ल्यू.9 विकास कुमार सालार, और पी.डब्ल्यू.10 अतुल कुमार।

5. धारा 313 सीआरपीसी के तहत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य आरोपी के सामने रखे गए। जिसके जवाब में उन्होंने आरोप लगाया कि

उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है. उन्होंने आगे कहा कि मुकदमा अपराध क्र. 2005 की धारा 107 एवं मुकदमा अपराध क्रमांक. 2000 के 54 में वह पहले ही बरी हो चुका है और मुकदमा अपराध क्र. 2008 का 125 विचाराधीन है (ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.09.2018 द्वारा बरी कर दिया गया)। हालाँकि, बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट ने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे आरोपी के अपराध को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और तदनुसार उसे दोषी ठहराया है। आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

6. पीडब्लू1 बी.एस. चौहान, इंस्पेक्टर, शिकायतकर्ता ने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट से मंजूरी मिलने के बाद एफआईआर, गैंग चार्ट (उदा. ए1) और अपने हस्ताक्षर के कथनों को साबित किया। पीडब्लू 3 एस.आई दिनेश कुमार मामले अपराध संख्या में जांच अधिकारी हैं। 231 का 2006, जिसने आरोप पत्र (पेपर नं. 7ka/21) साबित किया। अन्य मामलों में P.W4, P.W.2 और PW10 शिकायतकर्ता हैं। अन्य गवाह P.W.1 के संस्करण की पुष्टि करते हैं, जिन्होंने लड़की की एफआईआर, आरोप पत्र आदि जैसे दस्तावेजों को भी साबित किया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि आक्षेपित आदेश रिकॉर्ड पर साक्ष्य के महत्व के विरुद्ध है और कानून में खराब है। गैंग चार्ट में तीन मामलों की पेंडेंसी यानी केस क्राइम नं. 2008 का 125, मुकदमा अपराध क्रमांक. 2005 की धारा 107 एवं मुकदमा अपराध क्रमांक. 2000 का 54 हो चुका है अभियुक्त/अपीलकर्ता के खिलाफ दिखाया गया है, जिसमें उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा उपरोक्त मामलों में पहले ही बरी कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा कि एक गिरोह था और अपीलकर्ता उसका सदस्य/नेता था और ऐसा गिरोह ऐसी गतिविधियों में लिप्त था जो गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) के तहत निषिद्ध हैं।

8. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने संपूर्ण तथ्यों की उचित सराहना के बाद अपीलकर्ता को आरोपों के लिए दोषी ठहराया।

9. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

10. संबंधित तर्कों की योग्यता में प्रवेश करने से पहले अधिनियम की धारा 2 (बी) और (सी) को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा।

(बी) "गिरोह" का अर्थ व्यक्तियों का एक समूह है, जो हिंसा, या धमकी या हिंसा का प्रदर्शन, या डराना, या जबरदस्ती या अन्यथा सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान करने या किसी अनुचित अस्थायी लाभ के उद्देश्य से अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करता है, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ, असामाजिक गतिविधियों में शामिल होना, अर्थात्-

(i) भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम संख्या 45) के अध्याय XVI या अध्याय XVII या अध्याय XXII के तहत दंडनीय अपराध, या

(ii) यूपी के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में किसी शराब, या नशीली या खतरनाक दवाओं, या अन्य नशीले पदार्थों या नशीले पदार्थों का आसवन या विनिर्माण या भंडारण या परिवहन या आयात या निर्यात या बिक्री या वितरण या किसी पौधे की खेती करना। उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 (यूपी अधिनियम संख्या 4 सन् 1910), या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985), या उस समय लागू कोई अन्य कानून, या (iii) कानून के अनुसार अन्यथा अचल संपत्ति पर कब्ज़ा करना या कब्ज़ा करना, या अचल संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे के लिए झूठे दावे स्थापित करना, चाहे वह खुद का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, या

(iv) किसी लोक सेवक या किसी गवाह को उसके वैध कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना या रोकने का प्रयास करना, या

(v) महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 104) के तहत दंडनीय अपराध, या

(vi) सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 (1867 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध, या

(vii) किसी भी व्यक्ति को किसी भी पट्टे या अधिकार या माल की आपूर्ति या काम के लिए किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक या निजी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से कानूनी रूप से आयोजित नीलामी में बोली लगाने, या कानूनी रूप से आमंत्रित निविदा की पेशकश करने से रोकना। किया, या

(viii) किसी व्यक्ति द्वारा उसके वैध व्यवसाय, पेशे, व्यापार या रोजगार या उससे जुड़ी किसी अन्य वैध गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने से रोकना या परेशान करना, या

(ix) भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 171-ई के तहत दंडनीय अपराध, या मतदाता को उसके चुनावी अधिकारों का प्रयोग करने से शारीरिक रूप से रोककर, वैध रूप से आयोजित होने वाले किसी भी सार्वजनिक चुनाव को रोकने या बाधित करने में, या

(x) सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए दूसरों को हिंसा का सहारा लेने के लिए उकसाना, या

(xi) जनता में दहशत, अलार्म या आतंक पैदा करना, या

(xii) सार्वजनिक या निजी उपक्रमों या कारखानों के कर्मचारियों या मालिकों या कब्जाधारियों को आतंकित करना या उन पर हमला करना और उनकी संपत्तियों के संबंध में शरारत करना, या
(xiii) किसी व्यक्ति को गलत प्रतिनिधित्व पर विदेश जाने के लिए प्रेरित करना या प्रेरित करने का प्रयास करना कि उसे ऐसे विदेशी देश में कोई रोजगार, व्यापार या पेशा प्रदान किया जाएगा, या
(xiv) फिरौती वसूलने के इरादे से किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करना, या
(xv) किसी विमान या सार्वजनिक परिवहन वाहन को उसके निर्धारित मार्ग पर चलने से रोकना या अन्यथा रोकना;
(xvi) धन उधार विनियमन अधिनियम, 1976 के तहत दंडनीय अपराध;
(xvii) अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन और/या तस्करी करना और गोवध निवारण प्रावधानों के उल्लंघन में कृत्यों में लिप्त होना अधिनियम, 1955 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960;
(xviii) व्यावसायिक शोषण, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग निकालना और तस्करी, भिक्षावृत्ति और इसी तरह की गतिविधियों के लिए मानव तस्करी।
(xix) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1966 के तहत दंडनीय अपराध:
(xx) नकली भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई, परिवहन और प्रसार;
(xxi) नकली दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण में शामिल होना;
(xxii) शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण, बिक्री और परिवहन में शामिल होना;
(xxiii) आर्थिक लाभ के लिए कटाई या हत्या, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में उत्पादों की तस्करी;
(xxiv) मनोरंजन और सट्टेबाजी कर अधिनियम, 1979 के तहत दंडनीय अपराध;
(xvv) ऐसे अपराधों में लिप्त होना जो राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और यहां तक कि जीवन की गति को प्रभावित करते हैं।]
(सी) "गैंगस्टर" का अर्थ किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो खंड (बी) में उल्लिखित गिरोह की गतिविधियों को बढ़ावा देता है या सहायता करता है, चाहे ऐसी गतिविधियों के पहले या बाद में या किसी व्यक्ति को शरण देता हो जो ऐसी गतिविधियों में शामिल हुआ है;

11. अब इस न्यायालय को यह जांच करनी है कि क्या अपीलकर्ता ने एक गिरोह बनाया था जो निषिद्ध गतिविधियों में शामिल था। अभियुक्त/अपीलकर्ता सुशील को गैंग चार्ट में तीन मामलों में बुक किया

गया दिखाया गया है, लेकिन इन सभी मामलों में उसे निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है और इस तथ्य को विद्वान ट्रायल जज ने अपने फैसले में देखा है। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने यह भी देखा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे पता चले कि आरोपी/अपीलकर्ता सुशील गिरोह का सदस्य है।

12. विद्वान ट्रायल जज ने पी.डब्लू.1 इंस्पेक्टर बी.एस. द्वारा प्रस्तुत गैंग चार्ट के आधार पर गिरोह के गठन का निष्कर्ष दर्ज किया है। चौहान, शिकायतकर्ता, को विद्वान जिला मजिस्ट्रेट ने मंजूरी दे दी और आरोपी-अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दोषी ठहराया। गैंग चार्ट एवं उसका पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमोदन इस बात का साक्ष्य नहीं है कि उसमें नामित अभियुक्तों ने भौतिक या वित्तीय लाभ के लिए संगठित अपराध करने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक गिरोह या गिरोह का सदस्य बनाया था। इसके अलावा विद्वान ट्रायल जज द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और इस संबंध में रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है।

13. विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया है कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि अपीलकर्ता या तो गिरोह का नेता था या गिरोह का सदस्य था या उसने अधिनियम की धारा 2 (बी) (सी) के तहत दंडनीय कोई अपराध किया था। इसके बावजूद, उन्होंने अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दोषी ठहराया और 10 साल की अवधि के लिए सजा सुनाई।

14. उपरोक्त के मद्देनजर, इस अदालत की दृढ़ राय है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ अपना मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है या तो वह गिरोह का नेता था या गिरोह का सदस्य था या धारा 2 (बी) के तहत दंडनीय कोई अपराध किया था। (सी) अधिनियम के.

15. ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 18.02.2019 का आक्षेपित निर्णय और आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। वही अलग रखा गया है. अपील स्वीकार की जाती है. अपीलार्थी जमानत पर है। जमानत मुचलका रद्द किया जाता है. जमानतदारों को मुक्त कर दिया गया है।

16. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय को तुरंत संबंधित अदालत को सूचित करे और रिकॉर्ड वापस भेजे।

(लोकपाल सिंह, जे.)
14.01.2021